



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07022026-269930
CG-MH-E-07022026-269930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 551]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 551]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 4 फरवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 20(E) के तहत

का.आ. 581(अ).—केंद्रीय सरकार ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11 वां) (जिसे इसमें इसमें पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 14 अगस्त 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3748 (अ) तारीख 11 अगस्त 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपावध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "वर्धा - नांदेड (वाया यवतमाळ पुसद)" नई ब्रॉडगेज रेलवेलाईन निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20- क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् 'दैनिक उदयाचा मराठवाडा' में 13 दिसंबर 2025 और दैनिक द वरक ए ताजा उर्दु डेली नांदेड में तारीख 14 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, जो आक्षेप प्राप्त हुए थे उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार कारवाई कि गई है।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20-ड की उपधारा(1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20-ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यांकित रूप से निहीत हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में हदगाव तालूका नागरी सेक्शन के अंतर्गत का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भुसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, हदगाव के अधीन विशेष रेल परियोजना “वर्धा - नांदेड (वाया यवतमाळ पुसद)” नई ब्रॉडगेज रेलवेलाइन के लिए अर्जित की जानेवाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 के अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे क्रमांक/ गट क्रमांक	भूमी धारणा प्रणाली	7/12 के अनुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर.)
1	2025/19	बामणी	हदगाव	बालाजी वामनराव वटाणे	65	1	0.56	0.15
2				मारोती विठ्ठल सुर्यवंशी	65	1	1.68	0.48
						कुल	2.24 (हे.आर.)	0.63 (हे.आर.)
1	2025/20	शिबदारा	हदगाव	नारायण बळिराम बागल	130	1	1.15	0.01
2				अरविंद शिवाजी चव्हाण अमोल शिवाजी चव्हाण अलका शिवाजी चव्हाण सुनंदाबाई शिवाजी चव्हाण	144	1	0.29	0.13
3				गजानन रामचंद्र दुर्गे	73	1	1.20	0.0241
						कुल	2.64 (हे.आर.)	0.1641 (हे.आर.)
1	2025/21	वरवट	हदगाव	दत्ता तुकाराम सोनाळे	9	1	0.98	0.21
						कुल	0.98 (हे.आर.)	0.21 (हे.आर.)
						कुल योग	5.86 (हे.आर.)	1.0041 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/WR-Nanded/Hadgaon Tq/Bamni+2 VlgS/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 581(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number. S.O 3748 (A) dated 11 August 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, PartII, section 3, Sub-section (ii) dated the 14 August 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20-A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Wardha- Nanded (via Yevatmal Pusood)”** New BG Railway Line in the district of Nanded in the state of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Dainik Udyacha Marathwada” Dated 13 December 2025 And “Dainik The Waraku -E Taza Urdu Daily Nanded ” Dated 14th December 2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And, the objections received have been considered and action taken accordingly by the competent authority.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette; the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government Free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project **“Wardha- Nanded (via Yevatmal Pusood)”** New BG Railway Line is Dist-Nanded Taluka- Hadgaon Nagri Section under Sub Divisional Officer & Land Acquisition Officer, Hadgaon the district Nanded in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land acquisition Case no	Name of the village	Taluka	Name of Landholder as per 7/12	Survey No./ Gut no.	Land Holding Method	Total area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition area (Ha.)
1	2025/19	Bamani	Hadgaon	Balaji Vamanrao Vatane	65	1	0.56	0.15
2				Maroti Vitthal Surywanshi	65	1	1.68	0.48
						Total	2.24 (Ha.)	0.63 (Ha.)
1	202	Shibdara	Hadgaon	Narayan Baliram Bagal	130	1	1.15	0.01

2				Arvind Shivaji Chawhan Amol Shivaji Chawhan Alka Shivaji Chawhan Sunandabai Shivaji Chawhan	144	1	0.29	0.13
3				Gajanan Ramchandra Durge	73	1	1.20	0.0241
						Total	2.64 (Ha.)	0.1641 (Ha.)
1				Datta Tukaram Sonale	9	1	0.98	0.21
						Total	0.98 (Ha.)	0.21 (Ha.)
	2025/21	Warvat	Hadgaon			Grand Total	5.86 (Ha.)	1.0041 (Ha.)

[F. No. G197/WR-Nanded/Hadgaon Tq/Bamni+2 VlgS/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)